जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

"स्वर्ण सिटी"
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. KRB/Res./2026-27/090 दिनांक : 13/04/2026

प्रति, श्री दुहन जी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD)
South Eastern Coalfields Limited
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विषय: मानिकपुर खदान विस्तार परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को न्यायोचित मुआवजा एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाने बाबत - त्वरित हस्तक्षेप अपेक्षित।

जिला कोरबा अंतर्गत मानिकपुर खदान विस्तार परियोजना के कारण भिलाई खुर्द (क्रमांक 1, 2 एवं 3) सहित आसपास के ग्रामों के सैकड़ों परिवार गंभीर संकट की स्थिति में हैं। इस संबंध में प्रभावित ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन अत्यंत चिंताजनक एवं संवेदनशील स्थिति को दर्शाता है।

यह अत्यंत खेदजनक है कि पूर्व में खदान विस्तार के दौरान लगभग 80 एकड़ भूमि अधिग्रहित किए जाने पर स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था, किंतु आज तक उस आश्वासन का समुचित पालन नहीं किया गया। अब पुनः लगभग 60 एकड़ भूमि अधिग्रहण के दायरे में है, जिससे ग्रामीणों के समक्ष आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

और भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि–

- मकानों के मुआवजा निर्धारण में भारी असमानता एवं अनियमितताएं सामने आ रही हैं।
- नव-निर्मित मकानों को पुराने ड्रोन सर्वे का हवाला देकर जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है।
- स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के संबंध में प्रबंधन की उदासीनता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है।

यह स्थिति न केवल प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक असंतोष को भी जन्म दे रही है, जो भविष्य में गंभीर जन-आंदोलन का रूप ले सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. ....   दिनांक : ....

अतः आपसे अपेक्षा है कि–

1. सभी प्रभावित परिवारों को उनकी भूमि एवं मकानों का **वर्तमान बाजार मूल्य के अनुरूप पारदर्शी एवं न्यायसंगत मुआवजा** तत्काल सुनिश्चित किया जाए।
2. नव-निर्मित सभी मकानों का पुनः सर्वे कर उन्हें मुआवजा प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि किसी भी परिवार के साथ अन्याय न हो।
3. मानिकपुर खदान विस्तार परियोजना में प्रभावित ग्रामों के युवाओं को **प्राथमिकता के आधार पर स्थायी रोजगार** प्रदान किया जाए, जिससे उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके।

साथ ही, आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि इस विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए कोरबा क्षेत्र के महाप्रबंधक (GM), मानिकपुर/कोरबा को **तत्काल आवश्यक निर्देश** प्रदान करें कि वे प्रभावित ग्रामीणों के साथ संवेदनशीलता के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का शीघ्र एवं न्यायोचित समाधान सुनिश्चित करें।

अन्यथा, यदि समयबद्ध एवं ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो क्षेत्र में व्यापक जन-असंतोष एवं आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी संभावना है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

आशा है कि आप इस विषय में त्वरित एवं सकारात्मक पहल करने का कष्ट करेंगे।

धन्यवाद,

जयसिंह अग्रवाल
जयसिंह अग्रवाल

प्रतिलिपि:
जिला कलेक्टर, कोरबा – आवश्यक कार्यवाही एवं निगरानी हेतु।

Scanned with OKEN Scanner